आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Mahatma Phule Backward Class Development Corporation Ltd. (Social Justice and Special Assistance Department)

Mahatma Phule Corporation Margin Money Scheme

महात्मा फुले महामंडल बैंक से वित्तपोषित 5 लाख रुपये तक के कारोबारी प्रकल्पों के लिए 10,000 रुपये के अनुदान सहित 20 प्रतिशत बीज पूँजी देता है।

क्या मिल सकता है

5 लाख रुपये तक के निवेश वाले प्रकल्पों के लिए निगम 20 प्रतिशत बीज पूँजी देता है, जिसमें 10,000 रुपये का अनुदान शामिल है। बैंक 75 प्रतिशत मंज़ूर करता है और आवेदक 5 प्रतिशत लगाता है। बीज पूँजी पर 4 प्रतिशत ब्याज है और इसे पाँच साल में चुकाना होता है।

किसके लिए है

वे लोग जो बैंक ऋण के साथ 5 लाख रुपये तक की लागत का कारोबारी प्रकल्प महात्मा फुले महामंडल के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं।

मुख्य शर्तें

- 5 लाख रुपये तक के निवेश वाले प्रकल्पों पर विचार किया जाता है।
- आवेदक को प्रकल्प राशि का 5 प्रतिशत लगाना होगा और शेष 75 प्रतिशत बैंक मंज़ूर करता है।
- बीज पूँजी पाँच साल में चुकानी होगी।

आवेदन कैसे करें

1. निगम के जिला कार्यालय से संपर्क करें और योजना की जानकारी और आवेदन पत्र माँगें।
2. जिला कार्यालय की सलाह के अनुसार निगम के माध्यम से अपना आवेदन जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme/margin-money-scheme/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-mpbcdc-margin-money-scheme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।